

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
विकास आयुक्त का कार्यालय,
सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र
अंधेरी (पूर्व), मुंबई:-400096
दूरभाष सं. 022-28294799 फ़ैक्स: 022-28291754/1385
ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in वेबसाईड: www.seepz.org

फा.सं.सीपज़-सेज/सुरक्षा/अनुमती पत्र/07/2016-17/०००५९ दि. 02 जनवरी 2018

सूचना

विषय :- दो पहिया/चार पहिया वैध वाहन पास धारक कर्मचारियों को द्वार संख्या- 2 से समय सुबह 8.00 बजे से 10.30 बजे तक प्रवेश / निकास अनुमती के संबंध में।

द्वार संख्या-1 के बाहरी बाजू का मेट्रो निर्माण का काम शुरु होने से सीपज़-सेज के सभी युनिट कर्मचारियों को दो पहिया / चार पहिया वैध वाहन से प्रवेश / निकास करने से होनेवाली असुविधा को मदे नजर रखते हुए उनका प्रवेश सरल सुरक्षित होने हेतू सभी युनिटों के दो पहिया / चार पहिया वैध वाहन पास धारक कर्मचारियों को द्वार संख्या-2 से समय सुबह 8.00 बजे से सुबह 10.30 बजे तक प्रवेश / निकास की अनुमती दी जाती है।

इसकी कालावधी एक माह दि.05-01-2018 से 04-02-2018 तक वैध रहेगी।
इसे मा.विकास आयुक्त महोदय,सीपज़-सेज का अनुमोदन प्राप्त है।

बि.सि.लिंगवाल
02.01.18

(बि.सि.लिंगवाल)
सुरक्षा अधिकारी
सीपज़-सेज

प्रतिलिपी,

1. विकास आयुक्त कार्यालय,
2. सीमा शुल्क अनुभाग,
3. सुरक्षा अनुभाग,
4. सीपज़-सेज के सभी यूनिट,
5. आयटी अनुभाग सीपज़-सेज वेबसाईड पर अपलोड करे।
6. आउटलुक